दूसरा अध्याय

विनियोग लेखा परीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

विनियोग लेखे 2001–2002 – एक दृष्टि

विनियोग लेखे : छत्तीसगढ़

अनुदानों की कुल संख्या : 78 अनुदान/विनियोग

कुल प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपये में)

प्रावधान	राशि	व्यय	राशि
मूल	7294.94		
पूरक	731.67		
कुल सकल प्रावधान	8026.61	कुल सकल व्यय	5735.50
घटाइए–व्यय में कमी के रूप में अनुमानित वसूलियॉ	208.61	घटाइए–व्यय में कमी के रूप में वास्तविक वसूलियॉ	81.34
कुल निवल प्रावधान	**7818.00**	**कुल निवल व्यय**	**5654.16**

दत्तमत तथा भारित प्रावधान एवं व्यय

(करोड़ रूपये में)

	प्रावधान		व्यय	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	4867.74	949.88	4223.72	795.25
पूंजीगत	820.12	1388.87	532.48	184.05
सकल योग	5687.86	2338.75	4756.20	979.30
घटायें–व्यय में कमी के रूप में वसूलियॉ	208.41	0.20	81.34	–
निवल योग	**5479.45**	**2338.55**	**4674.86**	**979.30**

2.1 प्रस्तावना

विनियोग अधिनियम में प्राधिकृत राशियों की तुलना में बजट की भारित और दत्तमत दोनों मदों के सम्बंध में सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई राशियों का विवरण दर्शाते हुए विनियोग लेखे प्रतिवर्ष तैयार किए जाते है।

विनियोग लेखा परीक्षा का उद्धेश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत की गई सीमाओं में है और संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित किया जाने वाला व्यय इसी प्रकार भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बन्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2001–2002 के दौरान 78 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्व वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश निम्नानुसार था :

(करोड़ रूपये में)

	व्यय की प्रकृति	**मूल अनुदान/ विनियोग**	**पूरक अनुदान/ विनियोग**	**कुल**	**वास्तविक व्यय**	**अन्तर बचत (–)/ अधिक्य (+)**
दत्तमत	I – राजस्व	4326.80	540.94	4867.74	4223.72	(–) 644.02
	II पूंजीगत	588.17	136.46	724.63	482.96	(–) 241.67
	III कर्जें एवं पेशगियां	77.64	17.85	95.49	49.52	(–) 45.97
कुल दत्तमत		4992.61	695.25	5687.86	4756.20	(–) 931.66
भारित	IV राजस्व	913.48	36.40	949.88	795.25	(–) 154.63
	V पूंजीगत	0.33	–	0.33	0.03	(–) 0.30
	VI लोक ऋण	1388.53	0.01	1388.54	184.02	(–) 1204.52
कुल भारित		2302.34	36.41	2338.75	979.30	(–) 1359.45
आकस्मिक निधि का विनियोग (यदि कोई हो)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	कुल योग	**7294.95**	**731.66**	**8026.61**	**5735.50**	**(–) 2291. 11**

तालिका कुल मिलाकर 2291.11 करोड़ रूपये (28.5 प्रतिशत) की बचत दर्शाती है । लोक ऋण के अन्तर्गत 1204.52 करोड़ रूपये (86.7 प्रतिशत) की सारभूत बचत थी जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2002) । राजस्व एवं पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 731.67 करोड़ रूपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान / विनियोग से भी कम था ।

(क) व्यय के आंकड़े निम्नलिखित परिणाम तक अधिक बताए गए थे :

1. निंरक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा –800–अन्य जमा को 93.78 करोड़ रूपये (राजस्व अनुभाग : 40.26 करोड़ रूपये एवं पूंजीगत अनुभाग : 53.52 करोड रूपये) का अंतरण ।

2. 2001–2002 के दौरान शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के संबध में मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा–106 वैयक्तिक जमा शेष में 21.14 करोड़ रूपये जोड़े गए (जमाः 52.14 करोड रूपये–संवितरण : 31 करोड रूपये)

(ख) निम्नलिखित परिमाण तक कुल व्यय को कम दर्शाया गया

विभिन्न मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत 1.18 करोड़ रूपये का व्यय किया गया जिसके लिए वर्ष के दौरान कोषालयों से भुगतान प्रमाणक प्राप्त नहीं होने से पुनर्मिलान नहीं हुआ एवं महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में उचन्त शीर्ष की आक्षेप पुस्तिका में रखे गये ।

2.3 विनियोग लेखा परीक्षा के परिणाम

2.3.1 पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए 731.67 करोड रूपये का पूरक प्रावधान ,मूल प्रावधान के 10 प्रतिशत थे ।

2.3.2 2291.11 करोड़ रूपये की समग्र बचत,अनुदानों एवं विनियोगों के 134 प्रकरणों में हुई 2407.01 करोड़ रूपये की बचत का परिणाम थी जिसे अनुदानों और विनियोगों के 16 प्रकरणों में रूपये 115.90 करोड़ के आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया । कुल 691 शीर्षो में से 648 शीर्षो,जो कुल संख्या का 93.8 प्रतिशत है , में बचत/आधिक्य का स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए या तो अपूर्ण प्राप्त हुए थे ।

2.3.3 वर्ष के दौरान 41 प्रकरणों में किया गया 214.99 करोड़ रूपये का पूरक प्रावधान , 2050.66 करोड़ रूपये की कुल बचत की दृष्टि से अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसके विवरण **परिशिष्ट – III** में दिये गये है ।

2.3.4 22 प्रकरणों में 225.45 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरूद्ध 383.32 करोड़ रूपये के पूरक अनुदान एवं विनियोग प्राप्त किए जाने के परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रूपये से अधिक की अर्थात कुल 157.87 करोड़ रूपये की बचत हुई । इन प्रकरणों के विवरण **परिशिष्ट – IV** में दिए गए हैं ।

2.3.5 16 प्रकरणों में 115.90 करोड़ रूपये के आधिक्य की संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमन की आवश्यकता थी । इनके विवरण **परिशिष्ट – V** में दिए गए हैं ।

2.3.6 10 प्रकरणों में 132.25 करोड़ रूपये का पूरक प्रावधान प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रूपये से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण 51.74 करोड़ रूपये का कुल अधिक व्यय अनावृत रहा जिसके विवरण **परिशिष्ट–VI** में दिए गए हैं ।

2.3.7(क) 59 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रूपये से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक सीमा तक व्यय कम रहा जैसा कि **परिशिष्ट –VII** में दर्शाया गया है । उपरोक्त में से 2 प्रकरणों (क्रमसंख्या 32 एवं 57) में 10.26 करोड़ रूपये के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया !

2.3.7(ख) 15 प्रकरणों में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंर्तगत प्रत्येक प्रकरण में उपलब्ध कराया गया संपूर्ण एक करोड़ रूपये और उससे अधिक का कुल 102.16 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसका विवरण **परिशिष्ट –VIII** में दिया गया है ।

2.3.8(क) 13 योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से 5 करोड़ रूपये अथवा उससे अधिक और कुल प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक , कुल 138.09 करोड़ रूपये का अधिक व्यय हुआ ! इनके विवरण **परिशिष्ट – IX** में दिये गये है ।

2.3.8(ख) योजनाओं के 26 प्रकरणों में 5 करोड़ रूपये अथवा अधिक की और प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक की कुल 1928.11 करोड़ रूपये से अधिक की सारभूत बचतें परिलक्षित हुई । विवरण **परिशिष्ट –X** में दिये गये हैं । 26 में से 15 प्रकरणों में संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा ।

2.3.9 निधियों का आधिक्य/ अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग , एक अनुदान के भीतर विनियोग की उस इकाई से जिसमें बचत प्रत्याशित है , दूसरी इकाई में जिसमें निधियों की आवश्यकता है , निधियों का अंतरण है । ऐसे प्रकरण **परिशिष्ट – XI** में दर्शाए गए हैं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रूपये से अधिक की निधियों का पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण निम्नांकित कारणों से अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ य(क) ऐसे शीर्षो से निधियों का आहरण जिसमें अधिक व्यय पहले ही हो चुका था , (ख) उपलब्ध बचतों से अधिक निधियों का आहरण एवं (ग) बचत के बाद भी अनावश्यक रूप से निधियों का संवर्धन ।

2.3.10 अभ्यर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

(क) व्यय करने वाले विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब भी बचतें प्रत्याशित हो , वे अनुदानों / विनियोगों की राशि अथवा उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दे । तथापि, वर्ष 2001–2002 की समाप्ति पर अनुदान/विनियोग के 107 प्रकरण ऐसे थे जिनमें बड़ी बचतें विभागों ने अभ्यर्पित नहीं कीं । इनमें 805.93 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी । 29 प्रकरणों में **परिशिष्ट–XII** में दिए गए विवरणानुसार उपलब्ध बचत की सारभूत राशियां (प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपये और इससे अधिक जो कुल 745.54 करोड़ रूपये की थी) अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ख) अभ्यर्पित किये गये कुल 1652.44 करोड़ रूपये में से 75 प्रकरणों में 1642.81 करोड़ रूपये (99.42 प्रतिशत) को मार्च 2002 के अंतिम दिन अभ्यर्पण किया गया जो व्यय पर वित्तीय नियंत्रण की अपर्याप्तता दर्शाता है ।

2.3.11.(क) वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

10 प्रकरणों में, वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गईं जो बजट संबधी नियंत्रण की कमी दर्शाता है । 63.69 करोड़ रूपये की कुल बचतों

के विरूद्ध 84.12 करोड़ रूपये की राशि अभ्यर्पित की गई थी , परिणामस्वरूप 20.43 करोड़ रूपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ । विवरण **परिशिष्ट – XIII** में दिए गए हैं ।

2.3.11(ख) 4 प्रकरणों मे 30.91 करोड़ रूपये अभ्यर्पित किए गए यद्यपि 88.68 करोड़ रूपये की राशि का अधिक व्यय हुआ था । विवरण **परिशिष्ट –XIV** में दिए गए हैं ।

2.3.12 बजट प्रावधान के बिना व्यय :

बजट में निधियों का प्रावधान किए बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, यह देखा गया कि योजनाओं से संबंधित 20 प्रकरणों मे मूल अनुमानों/पूरक मॉग में प्रावधान किए बिना 456.41 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। विवरण **परिशिष्ट– XV** में दिए गए है।

2.3.13 व्यय के आंकड़ों का मिलान न करना

वित्तीय नियमावली के अनुसार विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागीय व्यय के आंकड़ों का सावधिक मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं में दर्ज आंकड़ों से किया जाना चाहिए। 2001–2002 में विभिन्न नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 39 मुख्य शीर्षो से संबंधित 8671.45 करोड़ रूपए के व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया । विवरण **परिशिष्ट– XVI** में दिये गए है।

2.3.14 व्यय की अधिकता

वर्ष में व्यय का समानुरूपी प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है तथापि यह पाया गया कि 14 प्रकरणों में मार्च 2002 के दौरान किया गया व्यय वर्ष के दौरान हुए कुल व्यय का 49 से 100 प्रतिशत के मध्य था। विवरण **परिशिष्ट– XVII** में दिए गए है।

2.3.15 पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियॉ

राज्य शासन के अनुदेशों (जनवरी 2001) तथा वित्तीय नियमों के अनुसार (प) '' वेतन एवं मजदूरी '' शीर्ष से किसी अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोग अनुमत्य नही है, (पप) एक अनुदान से अन्य अनुदान मे निधियों का पुनविर्नियोग नहीं किया जाना चाहिए (पपप) स्वीकृत पुनर्विनियोग के दोनों पक्षों का योग समान होना चाहिए, (पअ) पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण की सभी संस्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जानी चाहिए एवं इन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में लेखा बन्दी तथा अंतिम रूप देने से पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके विपरीत सरकार द्वारा **परिशिष्ट–XVIII** में दिये गये विवरणानुसार 2001–2002 के दौरान 3072.72 लाख रूपए का पुनर्निवियोग/अभ्यर्पण किया गया ।